राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1648/2019

अरविन्द कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर।
2. राजस्व मण्डल अजमेर जरिये चैयरमैन, अजमेर, राजस्थान ।
3. संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर, पता मिनी सचिवालय, कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर।
4. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर, पता मिनी सचिवालय, कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर।
5. जिला कलेक्टर जयपुर पता कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर।
6. कैलाश नारायण मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक वृत ताला तहसील जमवारामगढ, जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.06.2019
आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामसिंह गुर्जर, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसको आदेश दिनांक 26.012.2016 के द्वारा पदावनत किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2014—15 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी विशेष योग्यजन की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर आगामी पदोन्नति जो नायब तहसीदार के पद पर होनी है, उस पद पर पदोन्नति विशेष योग्यजन होने के आधार पर दी जाए।
2. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

3. अपीलार्थी का यह तर्क कि वह विशेष योग्यजन श्रेणी का कार्मिक है, परंतु इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने विशेष योग्यजन होने का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी विशेष योग्यजन होने के सम्बन्ध में एक अभ्यावदेन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करेगा और साथ ही अपना स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित करेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)